



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मध्यमा परीक्षा 2020, मदरसा (वस्तानिया से मौलवी) परीक्षा 2020 एवं इण्टर व्यावसायिक परीक्षा 2020 के प्रमाण पत्रों में त्रुटि निराकरण के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 08/2021

एतद् द्वारा मध्यमा परीक्षा 2020, मदरसा (वस्तानिया से मौलवी) परीक्षा 2020 एवं इण्टर व्यावसायिक परीक्षा 2020 के सभी संबंधित छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं संबंधित संस्था प्रधानों को सूचित किया जाता है कि:-

(1) मध्यमा परीक्षा, मदरसा (वस्तानिया से मौलवी) परीक्षा एवं इण्टर व्यावसायिक परीक्षा 2020 के जिन छात्र/छात्राओं के अंकपत्रक आदि में नाम, माता/पिता नाम, जन्म-तिथि, पंजीयन संख्या आदि में त्रुटि हो, वैसे छात्र/छात्रा अपना आवेदन (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र एवं अंकपत्र की छायाप्रति) के साथ **दिनांक 27.02.2021** तक संबंधित संस्था, यथा-संस्कृत विद्यालय, मदरसा एवं +2 विद्यालय में जमा करेंगे। संबंधित संस्था प्रधान उक्त निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों को, समुचित साक्ष्य (नियमित छात्र/छात्राओं के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से अभिप्रमाणित नामांकन पंजी की छायाप्रति एवं स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के लिए पंजीयन के समय छात्र/छात्राओं द्वारा समर्पित शपथ पत्र की सत्यापित छायाप्रति) के साथ अग्रसारित करते हुए परिषद् कार्यालय में **दिनांक 03.03.2021** तक अवश्य जमा करेंगे। इस तिथि के पश्चात् संशोधन शुल्क 400/- (चार सौ) रुपये मात्र के साथ आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

(2) साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि- चूँकि पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन भरने संबंधी सभी कार्य विद्यालय द्वारा ऑनलाइन किया जाता है, अतः आगामी परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों में परिषद् द्वारा निःशुल्क संशोधन नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./- (महीप कुमार सिंह)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मदरसा/10660/11-SECY/102/21

Dt. 06.02.2021

D.O.P. 07.02.2021